

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

: आदेश :

भोपाल, दिनांक 11.06.2022


सफ 1-26/2022/20-1

क. सी.एम.राइज योजना अंतर्गत चयनित विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के लिए चयनित लोक सेवकों को EVS विषय में प्राथमिक शिक्षक/सहायक शिक्षक के रूप में समान सामर्थ्य में सी.एम. राइज संस्थाओं में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक यथावत निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है।

Sno	UID	NAME	Desig	Dise	School	District
1	BS6846	SMT DIVYA ARYA	Prathmik Shikshak	23320213702	GOVT HS BARRAI	BHOPAL
2	BD5175	SMT KAMYA SHARMA	Prathmik Shikshak	23320213702	GOVT HS BARRAI	BHOPAL
3	AA3872	SMT REKHA UIKEY	Prathmik Shikshak	23320213702	GOVT HS BARRAI	BHOPAL
4	AA2844	SMT.RAZIA SULTAN	Prathmik Shikshak	23320403275	GOVT HSS KAROND (SARDAR VALLABH BHAI)	BHOPAL

सभी संबंधित लोक सेवकों को दिनांक 18.6.2022 तक संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। सी एम राइज शालाओं में पदस्थ एवं कार्यरत नव नियुक्त शिक्षक यथावत कार्यरत रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(प्रमोद सिंह) 11/6/2022
उप सचिव


म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र./एफ 01-26/2022/20-1/
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. निज सचिव, मान. राज्यमंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल म.प्र.।
4. संबंधित कलेक्टर म.प्र.।
5. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग म.प्र.।
6. संबंधित कोषालय अधिकारी म.प्र.।

7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ
8. संबंधित प्राचार्य,की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. आर्डर बुक।


11/6/2022

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग